फा. सं. 15/21/2016-डीजीएडी (मामला सं. एसएसआर 04/2017)

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

******

दिनांक: 11 जनवरी, 2017

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

(निर्णायक समीक्षा)

(केस सं. एसएसआर 04/2017)

विषय : इजरायल और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सभी ग्रेड और सभी सांद्रणों के फासफोरिक एसिड (कृषि/फर्टिलाइजर ग्रेड को छोड़कर)' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जॉच की शुरूआत

फा. सं. 15/21/2016-डीजीएडी (केस सं. एसएसआर 04/2017): 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने इजरायल और ताइवान (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सभी ग्रेड और सभी सांद्रणों के फासफोरिक एसिड (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधीशुल्क लगाने की सिफारिश की थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 25.10.2011 के तहत जारी किए गए थे और दिनांक 13 जनवरी 2012 की डीओआर अधिसूचना सं. 04/2012 के तहत अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे । प्राधिकारी द्वारा अंतिम जॉच परिणाम दिनांक 2 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 14/44/2010-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। जॉच परिणामों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना सं 19/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। इस मामले में लगाया गया पाटन रोधी शुल्क दिनांक 12 जनवरी, 2017 को समाप्त होगा ।

2. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका की जॉच के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष था कि इजरायल और ताइवान से फासफोरिक एसिड के आयातों से संबंधित

निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करने की कोई जरूरत नहीं है और तदनुसार निर्णायक समीक्षा को अस्वीकार करते हुए दिनांक 2 जनवरी, 2017 का का. आ. जारी किया गया। का. आ. के विरूद्ध घरेलू उद्योग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 147/2017 और 247/2017 दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त अनुदेशों का सार नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

> *"परिणामस्वरुप, प्रतिवादी को अनुदेश जारी किए जाते हैं - इस दौरान - याचिकाकर्ताओं के मामले में निर्णायक समीक्षा आरंभ की जाए । इसी दौरान निर्णायक समीक्षा और अधिसूचना तथा आदेशों में यह व्यवस्था की जाएगी कि यह कार्यवाही अपने आप ही रिट कार्यवाही के अन्तिम परिणाम के अध्यधीन होगी । यह भी निर्देश दिया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रश्न कानून के अनुसार होगा ।"*

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार, एक निर्णायक समीक्षा का मामला एतदद्वारा निम्नलिखित विवरण के साथ शुरु किया जाता है:

विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की ओर से वर्तमान याचिका मै. गुजरात अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि. और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि. *(जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कहा गया है)* द्वारा दायर की गई है।

ख. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

3. माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर उल्लिखित आदेशों के अनुपालन में, निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं।

ग. विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद 'सभी ग्रेड और सभी सांद्रणों के फासफोरिक एसिड (कृषि/फर्टिलाइजर ग्रेड को छोड़कर)' है। फासफोरिक एसिड एक कार्बनिक रसायन है जिसका प्रयोग सोडियम

फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नेशियम फास्फेट, अमोनियम फास्फेट आदि के उत्पादन में किया जाता है। संबद्ध वस्तु का प्रयोग भेषज अनुप्रयोगों, पेयों, बीज प्रसंस्करण, सुगर जूस क्लेरिफीकेशन और चीनी की रिफाइनिंग, खाद्य फास्फेट विनिर्माण आदि में भी किया जा रहा है।

5. यद्यपि फासफोरिक एसिड को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम में उपशीर्ष सं. 28092010 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है तथापि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई समर्पित सीमाशुल्क वर्गीकरण नहीं है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जॉच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

6. चूंकि वर्तमान जॉच एक निर्णायक समीक्षा जॉच है इसलिए विचाराधीन उत्पादन का दायरा वही रहेगा जैसे पूर्ववर्ती सम्पन्न निर्णायक समीक्षा जॉच में था।

घ. प्रक्रिया

7. इस जॉच से यह निर्धारित होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है। प्राधिकारी इस बात की जॉच करेंगे कि क्या पाटन और परिणामी क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए शुल्कों को लागू रखना आवश्यक है।

i. इस समीक्षा जॉच में शामिल देश इजरायल और ताइवान हैं।
ii. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जॉच अवधि 1 अप्रैल 2015 से 30 जून 2016 तक की है। तथापि क्षति जॉच अवधि में अप्रैल 2012-मार्च 2013, अप्रैल 2013-मार्च 2014, अप्रैल 2014-मार्च 2015 और जॉच अवधि शामिल होगी।
iii. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकते हैं और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।

ग)उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ)विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

ड़. सूचना प्रस्तुत करना

8. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

9. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

च. समय-सीमा

10. वर्तमान जॉच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

11. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जॉच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

छ. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

12. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए।

13. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

14. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

15. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई /सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि , आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

16. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

17. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की

गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ज. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

18. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

झ. असहयोग

19. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(डा. इंद्रजीत सिंह)

अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी